सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 21, सोमवार, *शाके 1946*- फरवरी 10, 2025 *Magha 21, Monday, Saka 1946- February 10, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(वृत कोटा)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 27, 2025

(अन्तर्गत भूमि अर्जन पनुव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

संख्या 13222452 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार, ढोटी-बालाजी की थाक-पाचड़ा- धोरी- भौंरा- सुल्तानपुर निमोदा उजाड़ सड़क का उन्नयन (एमडीआर-252) का निर्माण कार्य किया जाना है। जिसकी परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा संख्या 243 के तहत घोषित कार्य की सैद्धान्तिक सहमति संयुक्त सचिव (पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर के पत्रांक एफ.7 (323)/ए एंड एफ/सैक्ष. II/2024-25/डी-903 दिनांक 04/10/2024 द्वारा राषि रू. 55.00 करोड़ की जारी की गई है। जिससे एमडीआर-252 सड़क के उन्नयन का कार्य किया जाना है। उक्त उन्नयन कार्य के दौरान ग्राम हरिपुरा मांझी तहसील कनवास एवं ग्राम डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा में भूमि अवाप्ति की जानी है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम
1	कोटा	कनवास	हरिपुरा मांझी
2	कोटा	दीगोद	डंगावद

परियोजना हेतु नियमानुसार समाघात निर्धारित हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एमडीआर-252 का उन्नयन के दौरान भूमि अवाप्ति के लिए ग्राम हरिपुरा मांझी व डंगावद का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित ग्रामों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन, और पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और

पारदर्षित अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

1 संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारत की प्रारूप रिपोर्ट की जावेगी।
2 प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवो में सम्बन्धित सभा तत्पष्चात प्रभावित गांवो में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी। जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3 जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना तैयार की जावेगी।
4 सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवो में सम्बन्धित पंचायत के परामर्ष से की जावेगीं
5 सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अंकृत और शून्य बना देगा।
6 सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवष्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खंड सांगोद जिला कोटा
eepwdsangod@rediffmail.com, eesangod.pwd@rajasthan.gov.in

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खंड सांगोद जिला कोटा
श्री दिनेष कुमार धाकड़
मो. 9462967277
अधिषाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खंड सांगोद जिला कोटा
eepwdsangod@rediffmail.com, eesangod.pwd@rajasthan.gov.in

संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।